## सूचना

निम्नलिखित निर्देशों को सख्ती से अनुपालन के लिए सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाता है:

- एनआईटी परिसर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के परिसर में कुत्तों/बंदरों/पक्षियों/किसी भी अन्य घरेलू और जंगली जानवरों को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री उपलब्ध न कराएं, जिससे बंदरों और आवारा कृत्तों को आकर्षित करने का मौका मिलता है। छात्रों और निवासियों को अस्विधा।
- निवासियों को आम रास्ते पर फूल के गमले/साइकिलें नहीं रखनी चाहिए, जिससे निवासियों को परेशानी हो।
- वाहनों को सड़क स्थल पर पार्क करने की अनुमित नहीं है, सेंट्रल ब्लॉक बेसमेंट पार्किंग स्थल में रात भर पार्किंग सख्त वर्जित है।
- घरों का कूड़ा-कचरा आसपास के आवासों/विभागों के पिंजरों में रखे बड़े कूड़ेदानों में ठीक से डाला जाना चाहिए।

चूँकि ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन न करने के कारण निवासियों और छात्रों को असुविधा हो रही है और साथ ही आवासों के पास जानवरों/पक्षियों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप निवासियों/छात्रों को नुकसान हो सकता है और परिसर की सुंदरता भी नष्ट हो सकती है।

उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 500/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और पुनरावृत्ति होने पर उचित नियमों के साथ अच्छी आदतें विकसित करने पर इसे 500/- रुपये के गुणक तक बढ़ाया जा सकता है, न कि केवल जुर्माना, हालांकि जुर्माना एक भूमिका निभाता है।

संपदा अधिकारी, एनआईटी हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)

## NOTICE

The following instructions are hereby brought to the notice of all employees for strict compliance:-

- That the residents in the NIT Campus are informed that in the premises of Institution do not provide any kind of food things to the dogs/monkeys/birds/ any other domestic and wild animals which are given chances for attracting monkeys & stray dogs causing inconvenience to the students and residents.
- The residents should not place flower pots/bicycles on the common passage causing obstruction 2. for the residents.
- The vehicles are not allowed to be parked on the road site, overnight parking in the Central Block basement parking place is strictly prohibited.
- That the garbage's and wastages of houses should be properly empted in the larger dustbins kept in the cages nearby residences/departments.

Since it is causing inconvenience to the residents and students due to non adhering to the instructions as mentioned above and as well as inviting animals/birds near the residences which may result in causing harm to the residents/students and also destroying the aesthetic of the campus.

Any one violating the above instructions may invite penalty of Rs.500/- and recurrence may be increased it to multiple of Rs.500/- as per case with inculcating good habits with proper rules and not only penalty though penalty plays a role.

> Estate Officer, NIT Hamirpur (HP